

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

मुरादाबाद

पत्रांक : 52/510
सेवा में,

प्रबन्धक
टोरेट गैस प्रा०लि०,
मुरादाबाद।

दिनांक : 7/01/20

विषय :- मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग के चैनैज 6.870 से 8.570 कुल 1.700 कि०मी० लम्बाई में गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-TGPL/GA-83/2019-20/MB/07 Dated 06-09-2019

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु टोरेट गैस प्रा०लि० मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रांक :-3299/प्रा० दिनांक :- 25-11-2019 द्वारा जारी किये गये माँग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू० 938400.00 (नौ लाख अड़तीस हजार चार सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या-029452 दिनांक 18.12.2019 एवं रू० 1700.00 (एक हजार सात सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या-029453 दिनांक 18.12.2019 द्वारा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)
1	2	3
1	मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग के चैनैज 6.870 से 8.570 कुल 1.700 कि०मी०	1.700

प्रतिबन्ध यह है कि :-

1. गैस पाईप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
2. गैस पाईप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ (इंटरलॉकिंग टाइल्स) को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
3. रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना/हादसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग/एजेंसी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय/ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
6. मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट/ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रासिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाईप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये।

संलग्नक :- प्रकरण मूल में।

पत्रांक : /

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद
दिनांक :

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

पत्रांक : 1955 / अनुमति-प्रा0 / 2020-21
सेवा में,

दिनांक : 11/09/2020

प्रबन्धक
टोरेट गैस प्रा0लि0,
मुरादाबाद।

विषय :- Permission for laying of underground Gas Pipeline 6" Dia Carbon Steel Pipeline & 125mm dia MDPE Pipeline in the same trench From Ranveer Petrol Pump to Kanth Filling Station towards (Kanth Road) and Aghwanpur-Hakimpur Road & Seruwa Village via Green Solution CNG Station Ladavli towards (Kanth Road) on SH-49 in the state of Uttar Pradesh.

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-TGPL/GA-83/2020-21/MB/8 Dated 18-08-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु टोरेट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रांक :-1748/प्रा0 दिनांक :- 30.07.2020 द्वारा जारी किये गये माँग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू0 2667000.00 (छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की बैंक गारण्टी संख्या-OGT0009200045575 दिनांक 13.08.2020 एवं रू0 23070.00 (तेईस हजार सत्तर मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या-006244 दिनांक 17.08.2020 द्वारा गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	2	3
1	मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-49) के चैनेज	23.070

प्रतिबन्ध यह है कि :-

1. गैस पाइप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
2. गैस पाइप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 1.50 से 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
3. रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना/हादसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग/एजेंसी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय/ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
6. मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट/ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रॉसिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाइप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये एवं विभाग द्वारा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक :- प्रकरण मूल में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद
दिनांक :

पत्रांक : / अनुमति-प्रा0 / 2020-21

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

मुरादाबाद

पत्रांक : 1748 / प्रा०-20020
सेवा में,

दिनांक : 30/07/2020

प्रबन्धक,
टोरेट गैस प्रा०लि०,
मुरादाबाद।

विषय :-

Permission for laying of underground Gas Pipeline 6" Dia Carbon Steel Pipeline & 125mm dia MDPE Pipeline in the same trench From Ranveer Petrol Pump to Kanth Filling Station towards (Kanth Road) and Aghwanpur-Hakimpur Road & Seruwa Village via Green Solution CNG Station Ladavli towards (Kanth Road) on SH-49 in the state of Uttar Pradesh.

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-TGPL/GA-83/2020-21/MB/8 dt 20-07-2020

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग के चैनैज 8.570 से 31.640 (23.07 कि०मी० लम्बाई) कुल लम्बाई 23.07 कि०मी० में गैस पाईप लाईन डालने हेतु मंत्रालय मार्ग परिवहन एवं राज मार्ग, भारत सरकार के पत्र संख्या-RW/NH-33044/27005/5&R9R) {Pt.} Dated 06-08-2013 के आदेशानुसार रू० 2667000.00 मात्र की बैंक गारण्टी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुरादाबाद के नाम देय होगी तथा शासनादेश संख्या-72/नौ-9-2018-161ज/12 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार प्रति कि०मी० 1000/- की धनराशि रू० 23070.00 का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुरादाबाद के नाम प्रशासनिक व्यय हेतु जमा करनी होगी, ताकि एन०ओ०सी० प्रदान करने की कार्यवाही करना सम्भव हो सके।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

Name of Project :- **Proposed 4" Dia Steel Pipeline from crest hospital to Ranveer filling Station (Left side) & 6" Dia Steel Pipeline from Ranveer filling Station to Kanth. (Right side)**

